महत्वपूर्ण एवं खास

मोटर सायकल से गिरकर हास्टल अधीक्षक की मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़। हास्टल अधीक्षक जवाहर नगर गणेशराम वारे पिता रूप सिंह वारे उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम चन्दाई थाना सारंगढ़ जवाहर नगर से ए.सी. कार्यालय रायगढ़ मिटींग में शामिल होने मोटर सायकल से दिनांक 27-12-19 को रायगढ़ जा रहे थे कि सुबह लगभग 10.30 बजे ग्राम विश्वासपुर के पास चन्द्रपुर तरफ से आ रही हाईवा क्र0 सीजी 13 एल 3309 का चालक गणेशराम वारे के मोटर सायकल को एक्सीडेंट कर दिया, गणेशराम वारे मौके पर की फौत हो रहा था। मृतक के भतीजे सुनील वारे पिता रामानंद वारे उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम चन्दाई थाना सारंगढ़ के रिपोर्ट पर थाना सरिया में अप.क्र. 184/19 धारा 279,304(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सूरजगढ़ पुल के पास भटके 9 वर्षीय बालक डायन 112 ने पहुंचाया घर

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुसौर राइनो को दिनांक 28.12.2019 की दोपहर 13:35 बजे गुम बालक का इवेंट मिला। इवेंट पर पुसौर राइनो ईआरव्ही वाहन में आरक्षक अदिकांत प्रधान सूरजगढ़ पुल के पास पहुंचा। जहां 9 साल का बालक करण चौहान पिता हरीश चौहान निवासी जेवरीडिही को अकेले घूमते देख राहगीरों ने डायल 112 को कॉल कर इवेंट दिए थे। बालक से नाम पता पूछ कर आरक्षक अदिकांत उसे छोड़ने करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम जेवरीडिही जाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बालक के परिजनों ने बताया कि आज सुबह बालक करण चौहान का भाई सरिया जाने के लिए निकला है उसी के पीछे कब करण पैदल चला गया, पता नहीं चला। बच्चे के मिलने के बाद हर्षित परिवार ने आरक्षक को धन्यवाद दिए।

ट्रैक्टर का कैजबिल गिरने से बालक घायल, डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर के ग्राम जेवरी बंजारा में रहने वाले बालक दुर्गेश बंजारा पिता सर्वेश बंजारा उम्र 4 साल के पैर पर ट्रैक्टर का कैजबिल गिरने से पैर पर गंभीर चोटें आई थी। घायल बालक के लिए घरवालों ने मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया गया था। दोपहर करीब 2:20 बजे भूपदेवपुर राइनो को इवेंट मिलने पर ग्राम जेवरी बंजारा पहुंचा व आहत को ईआरव्ही वाहन में बिठाकर केजीएच रायगढ़ में भर्ती कराया गया है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक 3 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की त्रैमासिक बैठक 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। बैठक में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा तथा किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर चाईल्ड जिला रायगढ़ द्वारा किशोर-किशोरी सशक्तिकरण एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला में समन्वय प्रयास हेतु किए जाने वाले कार्यों की भी चर्चा की जाएगी।

बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 3 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। एकीकृत बाल संरक्षण योजनान्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक एवं बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक रिव्यू की बैठक 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

नाम निर्देशन एवं वापसी से संबंधित कार्यों के लिए लगाये गये ड्यूटी में आंशिक संशोधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के लिए नाम निर्देशन एवं वापसी से संबंधित कार्यों हेतु 30 दिसम्बर 2019 से 9 जनवरी 2020 तक सहायक ग्रेड-3 मुकेश कुमार भोई की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए भोई के स्थान पर सहायक ग्रेड-3 अजीत बेग की ड्यूटी लगाई गई है।

रेत, गिट्टी व ईट का अवैध परिवहन व भंडारण पर कोतरारोड पुलिस की रेड

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर दिनांक 26.12.2019 को थाना कोतरारोड की टीम द्वारा गौण खनिज के अवैध रूप से भंडारण, परिवहन की सूचना पर कार्यवाही किया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक रूपक शर्मा को हीरापुर स्थित गणेश अग्रवाल के यार्ड में अवैध रूप से ईट, गिट्टी, रेत का भंडारण कर बिक्री करने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी कोतरारोड एवं स्टाफ द्वारा दिनांक 26.12. 2019 के शाम करीब 16.00 बजे गणेश अग्रवाल के हीरापुर स्थित यार्ड में रेड कार्यवाही किया गया। इस दौरान तीन ट्रैक्टरों में रेत, गिट्टी का परिवहन कर लाया जा रहा था जिसे मौके पर जप्त किया गया है तथा गणेश अग्रवाल के यार्ड में अवैध रूप से गिट्टी, रेत ईंट का भंडारण किया गया था। इस संबंध में गणेश अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है, पश्चात अग्रिम विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। मौके से तीन ट्रैक्टर जप्त किये गये हैं, जिनमें - सीजी13 एलए 2048, सीजी 13 यूजे- 1388, एवं सीजी 13 यूएफ-0358 शामिल हैं।

मौके से तीन ट्रैक्टर जप्त

विदित हो कि इसके पूर्व भी पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ व कोतरारोड की टीम द्वारा थाना कोतरारोड क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन की सूचना पर रेड कार्यवाही की गई थी जिसमें करीब 11 ट्रेलर पर कार्यवाही की गई थी।

शराबी पिता ने एक साल के बच्चे को मां से छिना

» सरिया टी.आई. ने तत्काल ने स्टाफ भेजकर बच्चे को मां से मिलवाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया अन्तर्गत दिनांक 28.12.19 को ग्राम भीखमपुर में रहने वाली श्रीमती अनुराधा चौहान पति कन्हैया चौहान थाना आकर बतायी कि इसका ससुराल ग्राम कारीघाटी में है। इसका पति कन्हैया चौहान शराब पीकर आये दिन मारपीट लड़ाई झगड़ा करता है और 4 दिन पहले झगड़ा मारपीट कर इसके 1 साल के बच्चे को रख लिया है और उससे मिलने नहीं देता है। श्रीमती अनुराधा चौहान की बातों को सुनकर थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक उसी समय प्रधान आरक्षक प्रभात कुमार यादव एवं महिला आरक्षक कौशल्या यादव एवं डॉयल 112 स्टाफ को अनुराधा चौहान के साथ उसके ससुराल भेजकर उसके बच्चे को दिलवाये।

महापौर का निर्वाचन 6 जनवरी को

» नव निर्वाचित पार्षद लेंगे शपथ फिर होगा महापौर के लिए मतदान

» स्पीकर सहित अपील समिति के सदस्य भी चुने जायेंगे

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन के परिणामों की घोषणा पश्चात नगर पालिक निगम रायगढ़ के आम निर्वाचन 2019 में निर्वाचित समस्त पार्षदों के शपथ ग्रहण तथा प्रथम सम्मेलन जिसमें महापौर, अध्यक्ष (स्पीकर) तथा अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन 6 जनवरी 2020 दिन सोमवार को नगर पालिक निगम रायगढ़ में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह निगम प्रांगण में प्रातः 9 से 10.30 बजे तक चलेगा। शपथ ग्रहण के बाद दोपहर 11 से 12 बजे तक नगर पालिक निगम रायगढ़ के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में महापौर, अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति हेतु अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे। दोपहर 12 से 12.30 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 12.30 बजे से 1 बजे के बीच अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया जा सकेगा। नाम वापसी के बाद दोपहर 1.15 बजे वैध नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी दी जाएगी।

इसके पश्चात दोपहर 1.15 बजे से 2 बजे तक उक्त पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु मत पत्रों को तैयार किया जाएगा। मतपत्र तैयार होने के बाद दोपहर 2 से 4 बजे तक मतदान किया जाएगा व शाम 4 बजे से मतगणना चालू होगी, जिसके उपरांत परिणाम की घोषणा की जाएगी। शपथ ग्रहण के अतिरिक्त निर्वाचन के सारे कार्यक्रम नगर पालिक निगम रायगढ़ के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में होंगे।

नाम निर्देशन के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

» नाम निर्देशन का कार्य 30 दिसम्बर से प्रारंभ

» अंतिम सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक चिन्ह का आबंटन 9 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए आज सृजन सभाकक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की उपस्थिति में नाम-निर्देशन के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर सहायक कलेक्टर संवित मिश्रा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.ए.कुरूवंशी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।

सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराना आप लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशिक्षण में अधिकारियों को अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा।

जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय में, जनपद पंचायत सदस्य के लिए खण्ड मुख्यालय में तथा पंच एवं सरपंच के लिए खण्ड मुख्यालय के साथ खण्ड मुख्यालय के अंतर्गत बनाये गए कलस्टर में नाम निर्देशन जमा कर सकते है। खण्ड मुख्यालय के अंतर्गत 5 से 10 कलस्टर बनाये गये है। नाम निर्देशन का कार्य अवकाश के दिनों में नहीं होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नाम वापसी के उपरांत अंतिम सूची के बाद अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का अंतिम प्रकाशन संबंधित मुख्यालय में रिटर्निंग अधिकारी अनिवार्य रूप से करेंगे है। साथ ही अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक का एक नमूना उपलब्ध कराना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2019-20 के लिए तीन चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में रायगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं तमनार, द्वितीय चरण में सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा तृतीय चरण में लैलूंगा, पुसौर तथा खरसिया शामिल है। जिसमें मतदान प्रथम चरण 28 जनवरी 2020, द्वितीय चरण 31 जनवरी 2020 एवं तृतीय चरण 3 फरवरी 2020 को होगा। तीनों चरणों का मतदान का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा।

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 30 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 7 जनवरी 2020 को प्रातः 10 बजे से अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3 बजे तक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 9 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3 बजे के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 9 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3 बजे प्रतीक आबंटन के बाद होगा।

मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए प्रथम चरण 28 जनवरी 2020 मतदान के पश्चात, द्वितीय चरण 31 जनवरी 2020 मतदान के पश्चात एवं तृतीय चरण 3 फरवरी 2020 मतदान के पश्चात होगा। खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना के लिए (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण 29 जनवरी 2020 प्रातः 9 बजे से, द्वितीय चरण 1 फरवरी 2020 को प्रातः 9 बजे से एवं तृतीय चरण 4 फरवरी 2020 प्रातः 9 बजे से किया जाएगा।

सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में खण्ड स्तर पर प्रथम चरण 30 जनवरी 2020 को प्रातः 9 बजे से (खण्ड मुख्यालय में), द्वितीय चरण 2 फरवरी 2020 प्रातः 9 बजे से (खण्ड मुख्यालय में) एवं तृतीय चरण 5 फरवरी 2020 प्रातः 9 बजे से (खण्ड मुख्यालय में) तथा जिला पंचायत सदस्य के मामले में (जिला मुख्यालय में) प्रथम चरण 31 जनवरी 2020 प्रातः10.30 बजे से, द्वितीय चरण 3 फरवरी 2020 प्रातः10.30 बजे से एवं तृतीय चरण 6 फरवरी 2020 को प्रातः 10.30 बजे से होगी।

बेहरादेव हाथी का हुआ कॉलरिंग सहित सफल उपचार

रायपुर। वन विभाग द्वारा वन मंडल बलरामपुर के अंतर्गत गत दिवस 27 दिसम्बर को बेहरादेव नामक जंगली हाथी के कॉलरिंग और चोट के कारण हुए उसके घाव का सफल उपचार किया गया। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अतुल शुक्ला ने बताया कि इसके कॉलरिंग और उपचार के लिए बाहर से भी चिकित्सा दल बुलाया गया था। लगभग 15 दिवस पहले जंगली हाथियों के दल में हुए आपसी हमले में बेहरादेव हाथी को कुछ चोटे आयी थी। बाहर से आए, चिकित्सा दल के सदस्यों में तमिलनाडु से डॉ. मनोहरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से डॉ. लक्ष्मीनारायण, अंकित तथा अंकुश शामिल थे। इसमें वन मंडलाधिकारी बलरामपुर डॉ. प्रणय मिश्रा सहित वन विभाग के स्थानीय अमले का सक्रिय सहयोग रहा। बेहरादेव हाथी का कॉलरिंग और उपचार बलरामपुर वन मंडल के अंतर्गत गोपालपुर सर्किल के राजपुर रेंज में किया गया।

किचड़ में फंसी हाथी की मौत मामले में वन प्रभारी डीएफओ निलंबित

» मुख्य वन संरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के कोरबा जिले के वन परिक्षेत्र कटघोरा के ग्राम कुल्हरिया के एक दलदली क्षेत्र में एक मादा हाथी की फंसकर मौत होने के मामले में राज्य सरकार ने प्रभारी वनमंडलाधिकारी कटघोरा डीडी संत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं मुख्य वन संरक्षक पीके केशर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वन विभाग के उप सचिव गणवीर धम्मशीलाने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। निलंबन की अवधि में डीडी संत को नया रायपुर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में रखा गया है। निलंबन अवधि में श्री संत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इसी प्रकार पीके केशर को कारण बताओ नोटिस देकर सात दिवस के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही होगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480